(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्री करणपुर

राजेन्द्र प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

किस्म मुकदमा 136 LR Act नं. 31 सन् 2018

स्व)

18

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.5.2018	प्रार्थी राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा तहसीलदार श्री करणपुर को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 57 F के मु.न. 8 मे 8 बीघा कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी की जाति जटसिख दर्ज है जबकि सही जाति कम्बोज है जमाबन्दी सम्वत 2062-2065 में प्रार्थी की जाति कम्बोज अंकित है अत: चक 57F की चालू जमाबन्दी मे प्रार्थी की जाति जटसिख के स्थान पर कम्बोज अंकित किए जाने के आदेश दिए जावें जिसके सम्बन्ध में पटवारी हलका 58F से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा उक्तानुसार शुद्धि किया जाना प्रस्तावित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्राप्त प्रार्थना पत्र एंव दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्तानुसार शुद्धि किया जाना उचित है अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 57F की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता स. 82 मे अंकित नाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गुरदिता जाति जटसिख के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गुरदिता जाति कम्बोज अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें आदेश इस आशय का तहसीलदार श्री करणपुर के नाम जारी हो पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner